

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।**

आज दिनांक- 25.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।
- स्कूली छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 25.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खरेला एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया साथ ही गुड टच-बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 25.07.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



जनपदीय एसओजी एवं थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता:-
जनपद महोबा की थाना चरखारी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से ₹15,000 नकद, अवैध तमंचा व कारतूस, तथा पीली/सफेद धातु के जेवरात बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर जनपद में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी व थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा ग्राम सालट थाना चरखारी जनपद महोबा में दिनांक 20.07.25 को हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/25 धारा 305(A)/331(4)/317(2)/317(5) का पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए कस्बा चरखारी से 03 नफर अभियुक्तगण 1.शैलेन्द्र वर्मा पुत्र रमेश वर्मा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पलका थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.प्रवीण राजपूत पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम कुल्हैड़ा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर 3.मोहित सोनी पुत्र महेश सोनी निवासी ग्राम तुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
2. उ0नि0 विवेक यादव स्वाट टीम
3. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम
4. कां0 दीपक वर्मा सर्विलांस टीम
5. कां0 रंजीत सिंह स्वाट टीम
6. कां0 आशीष बघेल स्वाट टीम
7. कां0 कुलदीप यादव सर्विलांस टीम
8. कां0 सत्यम सिंह जादौन सर्विलांस टीम
9. कां0 निर्भय सिंह स्वाट टीम
10. कां0 अभिषेक दुबे सर्विलांस टीम

थाना चरखारी पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह
2. उ0नि0 अर्जुन प्रसाद पटेल
3. हे0कां0 राजाराम पाल
4. हे0कां0 श्याम किशोर
5. कां0 नन्दलाल पटेल
6. कां0 संदीप कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी विवरण:-

1. शैलेन्द्र वर्मा पुत्र रमेश वर्मा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पलका थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से कुल 15,00,0/ रुपये व एक आधार कार्ड जिस पर मुन्नालाल पुत्र गोकुल सालट महोबा उत्तर प्रदेश अंकित है तथा एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 159/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. प्रवीण राजपूत पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम कुल्हैड़ा थाना मझगवा जनपद हमीरपुर के कब्जे से दो जोड़ी पायल सफेद धातु की व एक नाक की कील पीली धातु बरामद।
3. मोहित सोनी पुत्र महेश सोनी निवासी ग्राम तुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा के कब्जे से त्रिभुजाकार पीली धातु बरामद की गई।



जनपदीय एसओजी व थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चोरी के 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

9400/- रुपये नकदी, पासबुक, वोटर ID व बाइक बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर जनपद में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शांति अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर पंजीकृत अभियोगों के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश प्रदान किये गये थे।

आज दिनांक 25.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ विनोद कुमार व प्रभारी जनपदीय एसओजी मय टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/25 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस से संबंधित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1.अभिषेक पुत्र महिपाल राजपूत 2.उपेन्द्र पुत्र खेमचन्द्र राजपूत को घुटई अण्डर ग्राउण्ड रेलवे ब्रिज के किनारे रुरीकला ग्राम की ओर जाने वाली सड़क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से चोरी किया गया माल- एक पासबुक इलाहाबाद बैंक बेलाताल खाता, 02 अदद निर्वाचन कार्ड व खर्च करने के बाद बचे रुपयों मे से 9400/- रुपया तथा एक अदद मोटर साइकिल बरामद की गयी। बरामद वाहन को एम.वी. एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया तथा थानास्तर से अन्य विधिक कार्यवाहियां सम्पादित कर वांछित अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अभिषेक पुत्र महिपाल राजपूत उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर 2.उपेन्द्र राजपूत पुत्र खेमचन्द्र राजपूत उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण- जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
2. उ0नि0 विवेक यादव स्वाट टीम
3. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम 4. कां0 दीपक वर्मा सर्विलांस टीम
5. कां0 रंजीत सिंह स्वाट टीम 6. कां0 आशीष बघेल स्वाट टीम
7. कां0 कुलदीप यादव सर्विलांस टीम 8. कां0 सत्यम सिंह जादौन सर्विलांस टीम
9. कां0 निर्भय सिंह स्वाट टीम 10.कां0 अभिषेक दुबे सर्विलांस टीम

थाना महोबकंठ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार
2. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
3. हे0कां0 जंगबहादुर
- 4.कां0 अमित कुमार

बरामदगी-

- कुल 9400/- रुपये नकदी
01 अदद मोटरसाइकिल
02 अदद वोटर आईडी
01 अदद पासबुक



जनपदीय एसओजी व थाना पनवाड़ी पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता-

03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विगत दिनों हुयी शराब चोरी की घटना सहित अन्य

02 चोरी (थान कोतवाली नगर व श्रीनगर) की घटनाओं का किया गया खुलासा।

कुल 191 पाउच देशी शराब सहित ₹27,100 नगद व 01 चार पहिया वाहन बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर जनपद में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर पंजीकृत अभियोगों के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे।

आज दिनांक 25.07.2025 को गठित टीम के वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा मय जनपदीय एसओजी पुलिस टीम द्वारा ग्राम आफतपुरा के पास से 03 नफर अभियुक्तगण 1.संदीप राजपूत 2.धर्मेन्द्र राजपूत 3. निखिल राजपूत को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2025 धारा 331(2)/305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित 191 अदद देशी शराब के पाउच व नकद 20,000/- रुपये सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया वाहन बरामद किया गया, जिसको अन्तर्गत धारा 207 एमबीएक्ट के तहत सीज किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना कोतवाली नगर व थाना श्रीनगर में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें मु0अ0सं0 101/25 धारा 305 (A), 331(2), 324(4) बीएनएस थाना श्रीनगर जनपद महोबा से सम्बन्धित 5,600/- रुपये तथा मु0अ0सं0 550/24 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद महोबा से सम्बन्धित 1,500/- रुपये बरामद हुआ। बरामद माल के आधार पर थाना पनवाड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 148/2025 धारा 331(2)/305(ए) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संदीप राजपूत पुत्र प्रभूदयाल राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर
2. धर्मेन्द्र राजपूत पुत्र ठाकुरदास उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम इकटौर थाना राठ जनपद हमीरपुर
3. निखिल राजपूत पुत्र पुष्पेन्द्र राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बंधौली थाना डकोर जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम
2. उ0नि0 विवेक यादव स्वाट टीम
3. हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम 4.कां0 दीपक वर्मा सर्विलांस टीम 5.कां0 रंजीत सिंह स्वाट टीम
6. कां0 आशीष बघेल स्वाट टीम 7.कां0 कुलदीप यादव सर्विलांस टीम 8.कां0 सत्यम सिंह जादौन सर्विलांस टीम 9. कां0 निर्भय सिंह स्वाट टीम 10.कां0 अभिषेक दुबे सर्विलांस टीम

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम-

- 1.वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा 2.उ0नि0 पवन गौड, 3.उ0नि0 हार्दिक सिंह
- 4.का0 विजय कुमार 5.का0 विनोद कुमार 6.का0 इन्द्रपाल चौहान 7.का0 राममिलन सिंह

बरामदगी-

- 1.अभियुक्तगण के कब्जे से मु0अ0सं0 148/2025 धारा 331(2)/305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित दो प्लास्टिक की बोरी मे चोरी की देशी शराब की पुचची 191 अदद व 2000 रुपया व एक अदद सीज शुदा गाडी नम्बर UP91Q4247
2. मु0अ0सं0 101/25 धारा 305 (A), 331(2), 324(4) BNS थाना श्रीनगर जनपद महोबा से सम्बन्धित 5,600/- रुपये बरामद।
- 3.मु0अ0सं0 550/24 धारा 305 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद महोबा से सम्बन्धित 1,500/- रुपये बरामद





उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 25.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

